

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या- 01, मैनपुरी ।

उपस्थिति- गरिमा सिंह- III (उ. प्र. न्यायिक सेवा)

आपराधिक वाद संख्या- / 2026

अन्तर्गत धारा- 34 पुलिस एक्ट

दिनांक- 09. 05. 2026

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई । पुकार पर अभियुक्त उपस्थित आया । अभियुक्त की ओर से अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया गया और मुव. 10/- रुपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया । अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को एक दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा की गयी । पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो ।


(गरिमा सिंह- III)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट संख्या- 01, मैनपुरी ।